PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER UNDER RULE 357

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय दिनांक 20 जुलाई को मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव पर बहस चल रही थी। उस में मैंने अपने पुत्र मनमोहन दास के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था उस का यह आशय निकल सकता है कि उन्हें विरोधी दल वालों ने गायब कर रात भर अपने नियंत्रण में रखा। मैं स्वयं उस समय भोपाल में नहीं था और मैं ने यह मनमोहन दास से जो मेरी टेलीफोन पर बातचीत हुई थी उस के आधार पर कहा था । मनमोहन दास से फोन पर मेरी जो बात हुई उस में उन्हों ने यह कहा था कि रात भर के बाद वे घर लौटे हैं। ऐसे अवसरों पर सदस्यों को गायब कर उन्हें अपने नियंत्रण में रखने का कार्य कभी कभी किया जाता है । अतः उन के इस कथन का कि वे रात भर के बाद लौटे हैं मैं ने यह अर्थ लगा लिया कि उन्हें भी रात भर गायब कर अपने नियन्त्रण में रखा गया होगा। परन्तु उस के बाद फोन पर मुझे मालूम हुआ कि उन के साथ कोई ऐसी बात नहीं की गई थी । वे स्वतः ही राजनैतिक परिस्थिति का अध्ययन करने के लिये रात भर घूमते रहे थे। उन्हें न किसी ने गायब किया था और न किसी ने अपने नियंत्रण में रखा था ।

Some hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: No, no. So many hon. Members cannot get up and start speaking.

श्री मधु लिमये : (मुंगेर) : प्रजातन्त्र जो गायब हो गया है उस को लौटाया जाए ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : (उज्जैन) : प्रजातन्त्र की हत्या की जा रही है ।

Mr. Speaker: It is only a personal explanation. He wanted to correct himself. It cannot be a point of discussion now.

श्री मधु लिमये : भले आदमी हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं ने एक प्रस्ताव दिया था उस का क्या बना है ?

Mr. Speaker: Everybody who has given a *prastav* wants to raise it here. That is not possible. There are 50—100 *prastavs*. Is it suggested that they can all rise now and start speaking on them?

श्री हुकम चन्द कछवाय: उत्तर तो मिलना चाहिये । जानकारी तो मिलनी चाहिये कि स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है ।

Mr. Speaker: Let him wait. It will go in the routine way from the office. The office will write to him whether it has been accepted or not. It is the duty of the office to do that. I expect them to write to every hon. Member who has given notice of any matter. There is no doubt about that.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मुझे सूचना नहीं मिली है । तीन चार को मिली है मुझे नहीं मिली है ।

Mr. Speaker: If you have any complaint that the office has not worked properly, please write to me. The Secretary and myself will look into it.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं ने आप को लिखा है लेकिन उस का भी जवाब नहीं मिला है ।

12.10 hrs.

FOOD CORPORATIONS (AMENDMENT) BILL

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Food Corporations Act, 1964 and to declare the Central Government as the appropriate Government under the Industrial Disputes

Published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 357-67.